दावा पत्र संख्या:– 125/2017
मधु देवी बनाम मोहन आदि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर– 125/2017 **GCMS No.2017/00259**

मधु देवी पत्नी मनोज कुमार मीणा जाति मीणा उम्र .... वर्ष निवासी ढाणी ढहरवाली तन् संजय नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादिया

बनाम

1. मोहन पुत्र नौरंग
2. रमेश पुत्र ओमप्रकाश नवीरा स्व. नौरंग
3. अशोक पुत्र ओमप्रकाश नवीरा स्व. नौरंग
4. विष्णु पुत्र ओमप्रकाश नवीरा स्व. नौरंग
5. बलराम पुत्र स्व. नौरंग
6. पूर्णमल पुत्र स्व. नौरंग
7. शिवलाल पुत्र नौरंगलल
8. कैलाश पुत्र नौरंग जाति मीणा निवासी ढाणी मीणा का बास तन् गाडराटा तहसील खेतड़ी
9. नागरमल पुत्र भगवानाराम
10. चिरंजीलाल पुत्र भगवानाराम
11. बद्रीप्रसाद पुत्र भगवानाराम
12. शंकरलाल पुत्र भगवानाराम जाति मीणा निवासी मीणा का बास तन् गाडराटा तहसील खेतड़ी।
13. संतरा पुत्री स्व. भगवाना पत्नी भगवानाराम जाति मीणा
14. लाली पुत्री स्व. भगवानाराम पत्नी रामेश्वरलाल जाति मीणा निवासी दुहलेपुरा पोस्ट होद तहसील खण्डेला जिला सीकर, राज0
15. मीणा पुत्री स्व. भगवाना पत्नी कालूराम जाति मीणा
16. अनुपमा पुत्री स्व. भगवाना पत्नी बृजलाल जाति मीणा निवासी गढी पोस्ट जुगलपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर, राज0
17. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी (लैण्ड होल्डर)

..........प्रतिवादीगण

दावा – खाता विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:55:32 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक : 17.11.2025

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण [illegible] द्वारा दिनांक 06.10.2017 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि [illegible] ग्राम प्रतिभा नगर [illegible] खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या 92 खसरा नंबर 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137 कुल किता 6 कुल रकबा 4.34 है. में वादिया का 1/2 हिस्से का खाता अलग से कायम किया जाकर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार खेतड़ी को 400 रू. के खर्चे पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर

जाता है कि पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पक्षकारान को सूचित कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार खेतडी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार खेतडी ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./ 2021/ 2067 दिनांक 01.09.2021 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादिया विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादिया ने तहसीलदार खेतडी द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.09.2021 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.09.2021 (प्रदर्श —''अ—1 लगायत अ—3'' तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श—''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.09.2021 (प्रदर्श —''अ—1 लगायत अ—3'' तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श—''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.09.2021 (प्रदर्श —''अ—1 लगायत अ—3'' तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श—''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.09.2021 के अनुसार अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.09.2021 (प्रदर्श —''अ—1 लगायत अ—3'' तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श—''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगें। तहसीलदार खेतडी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श— ''ब'' के अनुसार सीमाकांन करवायेगें। रहन यदि कोई हो तो खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हक हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:55:32 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 145/2015 **GCMS No.2015/00775**
निर्णय दिनांक :– **17-11-2025**

मधु देवी बनाम मोहन आदि

दावा बाबत – **खाता विभाजन**

वादीया की ओर से **श्री मानसिंह मान एडवोकेट** की उपस्थिति व प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुभाष कुमावत एडवोकेट की उपस्थित में इस वाद में आज तारीख 17.11.2025 को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

" अतः वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.09.2021 (प्रदर्श –"अ–1 लगायत अ–3" तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–"ब") के अंतिम डिक्री किया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.09.2021 के अनुसार अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.09.2021 (प्रदर्श –"अ–1 लगायत अ–3" तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–"ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगें। तहसीलदार खेतडी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श– "ब" के अनुसार सीमाकांन करवायेगें। रहन यदि कोई हो तो खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हक हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 17-11-2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:55:32 IST
Reason: SelfAttested